(61)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No....2612.........
Dated.....7/5/12.....

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
**"OPEN HOUSE MEETS"**
फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

Zone - P-I

| | |
|---|---|
| नाम<br>Name | Jai Pal Rana |
| प्रतिनिधि :<br>Representing :<br>सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत<br>Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual | Individual |
| वर्तमान स्थिति<br>Present Position | Individual |
| फोन : कार्यालय<br>Phone : Office<br>आवास<br>Residence<br>मोबाइल<br>Mobile | 29- Khera Garhi Post Khera Kalan Delhi -110082 9818198398 |
| फैक्स :<br>Fax : | |
| ई–मेल<br>E-mail | |
| पता :<br>Address : | V. Khera Garhi Post Khera Kalan Delhi -110082 |
| हस्ताक्षर :<br>Signature : | JPRana |
| तिथि :<br>Date : | 30-4.2012 |

अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
Submit your registration form at the venue of Open House meets."

448

दिनांक 30-4-2012

निदेशक (योजना) एम पी आर
छठी मंजिल, विकास मिनार
आई पी एस्टेट नई दिल्ली-2

विषय:- दिल्ली मुख्य योजना-2021 की समीक्षा हेतु नये सुझाव।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निम्न सुझाव प्रेषित हैं। मैं आपका ध्यान आकृषित करता हूँ कि जिन दिल्ली के गाँवों के मूल निवासियों ने दिल्ली को बसाया है वही आज शरणार्थी बनने के कगार पर हैं। मैं आज उन सभी सुझाव प्रस्तावों को आपके समक्ष रख रहा हूँ जो पूरी तरह गाँव खेड़ा कलां व खेड़ा गढ़ी दिल्ली-110082 के हित में तो हैं बल्कि इनको लागू होने के बाद दिल्ली के ग्रामीण आंचल को नया स्वरूप मिलेगा।

(i) गाँव खेड़ा कलां व खेड़ा गढ़ी का अनाधिकृत निर्माण (अनआथोराइज्ड कन्सट्रक्शन) का प्रोविजनल नियमितकरण प्रमाण-पत्र माननीय सोनिया गाँधी यू पी ए चेयरपर्सन द्वारा दिनांक 4-10-2008 को छत्रसाल स्टेडियम में प्रदान किये। जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 76 ई एल डी (एक्सटेन्डिड लाल डोरा) दिनांक 19-9-2008 है। इसका नाम खेड़ा कलां व खेड़ा गढ़ी एक्सटेन्डिड आबादी नं० 76 ई एल डी दिया गया। अत: इस निर्माण को बिना शर्त विकसित एरिया घोषित किया जाये तथा इसे गाँव का लाल डोरा मानकर बुनियादी नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें।

यह भूमि जिस पर मकान व चारदिवारी बना कर रहने वाले ग्रामीणों के पास रहनी चाहिए तथा इस निर्माण का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मिक्सड लैंड यूज के आधार पर कारोबार की इजाजत हो।

(ii) गाँव रेवड़ा कलाँ व रेवड़ा गढ़ी दिल्ली में लाल डोरे के बाहर कृषिभूमि में बने हुए फार्म हाउस, स्कूल, खेल के मैदान, शादी भवन इत्यादि को बिना शर्त मान्यता दी जाये।

(iii) गाँव रेवड़ा कलाँ व रेवड़ा गढ़ी दिल्ली-82 के लाल डोरे के बाहर बने हुए सभी अनाधिकृत निर्माण को गाँव का लाल डोरा मान कर बुनियादी सुविधाये दी जाये। इस कृषि भूमि पर जिन व्यक्तियों ने अपने खेत में मकान व चारदिवारी व झोपडी बना कर रहने वाले ग्रामीणों की कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाये। साथ ही मिक्सड लैंड की यूज के आधार पर कारोबार की इजाजत दी जाये।

अगर गाँव रेवड़ा कलाँ व रेवड़ा गढ़ी के सभी अनाधिकृत निर्माण बिना शर्त नियमित नही किये तथा मास्टर प्लान-2021 के अन्तर्गत सुविधा नही दी गई तो इस गाँव के मूल निवासी बुरी तरह से प्रभावित होगें और अपनी जीविका से वंचित हो जायेगें। अतः आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि गाँव की सभी अनाधिकृत निर्माण बिना शर्त नियमित करके दिल्ली के मूल निवासियों को उजड़ने से बचाये।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर)

जयमल राणा
गाँव रेवड़ा गढ़ी पोस्ट रेवड़ा कलाँ
दिल्ली -110082

दिनांक 30-4-2012

446 फोन नं० - 09818195398